

16/01/23

अपीलेंट के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई।  
अपीलेंट के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया  
कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से <sup>पत्रावली के मध्य</sup> राजीनामा  
हो चुका है। अतः वह उम्मेद अपील को आगे नहीं  
चलाना चाहते हैं। अतः उम्मेद अपील परिये नोट  
प्रेस खारिज फुर्सत जाने।

अपीलेंट के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलेंट नैधीराम का  
आधार जार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलेंट  
का प्रार्थना पत्र न्यायद्वारा में स्वीकार किया जाता है।  
एवं उम्मेद अपील परिये नोटप्रेस में खारिज की  
जाती है। पत्रावली फुर्सत शुमार होकर बाद अवरपद  
कायवादी दायिल दफ्तर से।

राजस्व अधिकारी  
पाली